न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 21/प्रा.पत्र/2020 (GCMS No. 2020/00023)	19.02.2020	13.08.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

छोटूलाल आ. जीवन जाति मीना निवासी ग्राम ऐबरा
(मृतक जर्ये कायम मुकामान)
1/1.राजेन्द्र पुत्र छोटूलाल जाति मीना निवासी ऐबरा तह. रायथल
1/2 मुकेश पुत्र छोटूलाल जाति मीना निवासी ऐबरा तह. रायथल
1/3.कंचनबाई पत्नी छोटूलाल जाति मीना निवासी ऐबरा तह.रायथल
1/4.निर्मला पुत्री छोटूलाल मीना निवासी कांजरी सिलोर तह. बून्दी
1/5.नंदकंवर पुत्री छोटूलाल मीना निवासी खटियाडी तह. रायथल

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी छोटूलाल आ. जीवन जाति मीना निवासी ग्राम ऐबरा को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 1046 रकबा 12 बिस्वा वाकेग्राम ऐबरा दिनांक 13.04.1985 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर; बून्दी

19.2.20 3/8/24

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 21/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2020/00023 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1046 रकबा 12 बिस्वा आवंटी छोटूलाल आ. जीवन जाति मीणा निवासी ग्राम ऐबरा को दिनांक 13.04.1985 को आवंटन हुई थी। आवंटी वर्तमान में उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने बाबत पेरोकार सरकार द्वारा अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया आवंटी छोटूलाल आ. जीवन जाति मीणा निवासी ग्राम ऐबरा को दिनांक 13.04.1985 को भूमि खसरा सं. 1046 रकबा 12 बिस्वा वाकेग्राम ऐबरा का आवंटन किया गया था। आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 1441/1046 रकबा 0.0923 हैक्टेयर पर आवंटी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर ''आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं'' अंकित किया है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। आवंटी के वारिसान के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे आवंटन में कोई रूचि नहीं रखते है, इससे भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से आवंटन निरर्थक हो चुका है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी छोटूलाल आ. जीवन जाति मीणा निवासी ग्राम ऐबरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 1046 रकबा 12 बिस्वा वाकेग्राम ऐबरा, हाल तहसील रायथल (वर्तमान खसरा संख्या 1441/1046 रकबा 0.0923 हैक्टेयर) दिनांक 13.04.1985 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)